प्रेषक,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: 569 /रा0आ0–5/94 दिनांक:लखनऊ: 03/10/,2023

विषय: जिला घरेलू उत्पाद अनुमान को तैयार करने हेतु आँकड़ों को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके दृष्टिगत जिला घरेलू उत्पाद अनुमानों को सुदृढ़ बनाया जाना नितान्त आवश्यक है।

उक्त हेतु अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 द्वारा जिला घरेलू उत्पाद अनुमान मे कतिपय खण्डों के अनुमान तैयार किये जाने हेतु सम्बन्धित विभागों से एवं कतिपय indicators के आंकड़े जनपद स्तर से जनपदवार (समस्त 75 जनपद) एवं गत 04 वर्षो (2019–20, 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23) के प्राप्त किये जा रहे हैं। तत्क्रम में जनपद स्तर से निम्न इण्डीकेटर्स पर संलग्न प्रारुप पर सूचनाओं की आवश्यकता है–

1. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत कुल कार्यरत् कार्मिकों की संख्या तथा उनके वर्षान्तर्गत कोषागार के माध्यम से आहरित कुल वेतन एवं भत्ते निर्धारित प्रारूप–1 पर (संलग्नक–1)।
2. जनपद में स्थापित केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयवार जैसे–महालेखाकार, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, आयकर विभाग, रेलवे, सी.डी.ए.पेन्शन, एस.टी.पी.आई. सहित जनपद में स्थापित अन्य विभागों को सम्मिलित करते हुए कुल कार्यरत् कार्मिकों की संख्या तथा उन्हें प्रदत्त कुल वेतन एवं भत्ते निर्धारित प्रारूप–2 पर (संलग्नक–2)।
3. जनपद में स्वायत्तशासी संस्थानों में कुल कार्यरत् कार्मिकों की संख्या तथा उन्हें प्रदत्त कुल वेतन एवं भत्ते निर्धारित प्रारूप–3 पर (संलग्नक–3)।
4. स्थानीय निकाय (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) में कुल कार्यरत् कार्मिकों की संख्या तथा उन्हें प्रदत्त कुल वेतन एवं भत्ते निर्धारित प्रारूप–4 पर (संलग्नक–4)।
5. जनपद में स्थापित कुल भण्डार गृहों की कुल संख्या एवं क्षमता निर्धारित प्रारूप–5 पर (संलग्नक–5)।
6. Total buildings map approval निर्धारित प्रारूप–6 पर (संलग्नक–6)।
7. (1) Total Revenue earned from water bodies activities like boat registration, boating, etc.
   (2) Length of navigable rivers निर्धारित प्रारूप–7 पर (संलग्नक–7)।
8. Total No. of Advocates Registered In Bar Counsil of UP निर्धारित प्रारूप–8 पर (संलग्नक–8)।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त वांछित सूचना हार्ड एवं साफ्ट कापी (Excel Sheet) में विभागीय ई–मेल आई0डी0 stincesd@nic.in पर दिनांक 08.10.2023 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीया,
3.10.23
(डॉ0 दिव्या सरीन मेहरोत्रा)
निदेशक, अर्थ एवं संख्या।

पत्रांक: /रा0आ0–5/94 :: दिनांकित ::

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए वांछित सूचना उक्त प्रारूप पर संकलित कर जिलाधिकारी के अवलोकनोपरान्त दिनांक 08.10.2023 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या) को सूचनार्थ एवं उपर्युक्त सूचना पूर्ण गुणवत्ता के साथ ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु।

3.10.23
(डॉ0 दिव्या सरीन मेहरोत्रा)
निदेशक, अर्थ एवं संख्या।

संलग्नक–3

प्रारूप–3

जनपद का नाम :–

क्र0 सं0	स्वायत्तशासी संस्थान का नाम	वित्तीय वर्ष 2019-20		वित्तीय वर्ष 2020-21		वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23	
		कर्मचारियों/ अधिकारियों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान कुल प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियाँ	कर्मचारियों/ अधिकारियों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान कुल प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियाँ	कर्मचारियों/ अधिकारियों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान कुल प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियाँ	कर्मचारियों/ अधिकारियों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान कुल प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
—									
—									
—	योग								
	जनपद का योग								